सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0–99/2023 **दिनांक– 17 मार्च 2023**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- महराजगंज

मारपीट में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

1. पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में) – अभियुक्ता द्वारा वादी अमीर सिंह पुत्र स्व0 कुँवर सिंह सा0 भीलमपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के भाई बबलू सिंह को भद्दी भद्दी गाली गुप्ता देते हुए लात मुका लाठी डंडा तथा राड से मारने पीटने जिससे बबलू सिंह का मौके पर बेहोश हो जाने व जान माल की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 91/23 धारा 34/323/504/506/308 IPC पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

2. गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक- 17.03.2023 को थानाध्यक्ष कमलकान्त वर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामित अभियुक्ता अनीता पुत्री रामपति राजभर निवासी महरुपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को समय करीब 13.10 बजे में घर के सामने से हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 91/23 धारा 34/323/504/506/308 IPC थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अनीता पुत्री रामपति राजभर निवासी महरुपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री सुधीर पाण्डेय, म0का0 प्रियंका भारती थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

थाना कोतवाली नगर

वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना – वादिनी/ पीड़िता थाना कोतवाली आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक 12/03/2023 को आशीष निषाद *S/O* सिकन्दर निषाद द्वारा पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया गया, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 137/23 धारा 376 भादवि व 3(2)*v* एससी एसटी एक्ट पंजीकृत हुआ। जिसमें आशीष निषाद उपरोक्त वांछित था। विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण – दिनांक- 17.03.2023 को उ0नि0 अखिलेश कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आशीष निषाद पुत्र सिकन्दर निषाद निवासी गुलामी का पुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष को गुलामी का पूरा शराब ठेके के पास से समय 11.55 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1- मु0अ0सं0 137/23 धारा 376 भादवि व 3(2)*v* एससी एसटी एक्ट थाना कोतवाली नगर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1- आशीष निषाद पुत्र सिकन्दर निषाद निवासी गुलामी का पुरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

***1.* उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय चौकी प्रभारी पहाड़पुर मय हमराह थाना कोतवाली नगर आजमगढ़।**

थाना- बिलरियागंज

अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.03.2023 को वादिनी थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादिनी के नाबालिक लड़के जो कक्षा 5 का छात्र है जो दिनांक 13.03.2023 विद्यालय पढ़ने गया था लंच के समय विपक्षी द्वारा उसे टाफी विस्कुट का लालच देकर विद्यालय के पास के सरसो के खेत मे ले जाकर अप्रकृतिक यौन शोषण किया गया, जिसकी जानकारी विद्यालय के अध्यापिका को होने पर आवेदिका को सूचित किया गया। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 108/023 धारा 377 भादवि व 5M/6 पास्को एक्ट बनाम रतन गुप्ता पुत्र स्व0 जमुना गुप्ता सा0 खजियावर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है। आज दिनांक 13.03.2023 को अभियुक्त रतन गुप्ता उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 17.03.2023 को थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पाण्डेय मय हमराहीयान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रतन गुप्ता को गोरिया बाजार से समय करीब 06.05 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रतन गुप्ता पुत्र स्व0 जमुना गुप्ता सा0 खजियावर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

2. मु0अ0सं0 108/23 धारा 377 भादवि व 5M/6 पास्को एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी स्थान

1. गोरिया बाजार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पाण्डेय मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना-मेंहनाजपुर

चोरी गये सामान के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार व एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना:-

आवेदिका रजनी सिंह w/o अमन सिंह ग्राम डंडवल थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ के घर से दिनांक 21.01.23 की रात अज्ञात लोगो द्वारा आवेदिका के घर से एक खाली बाटला , दो सायकिल , एक फरसा , एक कुदाल , टागा चोरी हो गया था जिसके सम्बन्ध में आवेदिका के लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 22/23 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

आवेदक नरेन्द्र पुत्र सुकालू ग्राम निहुला थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ अपने पुत्री के ससुराल गये थे , दिनांक 14.03.2023 को जब पुत्री के ससुराल से वापस अपने घर निहुला आये तो घर का ताला टूटा था तथा घर का पूरा सामान बिखरा था तथा आवेदक के घर से पेटी, सन्दूक का ताला भी टूटा हुआ था, जिसमे प्रार्थी लगभग 2000 रुपये रखा हुआ था और प्रार्थी के खाने का सामान जैसे चावल, आटा, दाल, गेंहू, सरसो का तेल भी गायब था जिसके सम्बन्ध में आवेदक के लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 47/2023 धारा 380,457 IPC दिनांक घटना अ0त0 समय अ0त0 दिनांक सूचना 14.03.23 समय 22.02 बजे घटनास्थल ग्राम निहुला बफासला 06 किमी दक्षिण पूरब बनाम 1. जुगेश पुत्र लालजी पता अज्ञात 2.गौतम पुत्र मनोज पता अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 16.03.23 को उ0नि0 मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त योगेश उर्फ जूगेश S/O लालजी ग्राम निहुला थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को ग्राम निहुला के पास से गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में समय 12.30 बजे लिया गया। बाद गिरफ्तारीआवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग–

1-मु0अ0सं0 22 /2023 धारा 380 भादवि व मु0अ0सं0 47/23 धारा 457.380 भादवि थाना मेहनाजपुर,आजमगढ़

अपराधिक इतिहास :- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1. योगेश उर्फ जूगेश S/O लालजी ग्राम निहुला थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।
2. एक बाल अपचारी।

विवरण बरामदगी : - चोरी का चावल 9.5 किग्रा , गेहूं 11 किग्रा , फावड़ा , टागी व कुल 750 रू0 नगद |

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

01.उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़